पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर.ए.एस

प्रकरण सं0 : 131/2022

उनवान :

हरिसिंह पुत्र सुखराम जाति जांगिड निवासी डुंगराना तहसील भादरा।

:– वादी

बनाम

1. सुखराम पुत्र खेता जाति जांगिड निवासी डुंगराना तहसील भादरा।
2. धर्मपाल पुत्र सुखराम जाति जांगिड निवासी डुंगराना तहसील भादरा।
3. सावित्री पुत्री सुखराम पत्नी हरिसिंह जाति जांगिड निवासी सुरतपुरा त0 भादरा।
4. गुड्डी पुत्री सुखराम पत्नी मदनलाल जाति जांगिड निवासी सुरतपुरा त0 भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री महेन्द्र कुमार जांगिड एवं वकील प्रतिवादीगण श्री नरेश कुमार की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी सावित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा डुंगराना के खाता सं0 542/478 के ख0सं0 534 की 2.3770है0 वारानी व ख0सं0 751/239 की 4.1230है0 बारानी कुल खसरा 2 की 6.5000है0 कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 सुखराम के नाम दर्ज है जिसमें प्रतिवादी सं0 1 सुखराम का नाम कलमजन कर वादी हरिसिंह व प्रतिवादी सं0 2 धर्मपाल को वहिस्सा वरावर के खातेदार काश्तकार घोषित किए जाते हैं। चूंकि प्रतिवादी सं0 1, 3 व 4 ने वादी हरिसिंह व प्रतिवादी सं0 2 धर्मपाल के पक्ष में अपना हक हिस्सा त्याग कर शून्य कर लिया है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 22.08.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner